

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

सी०के० अनिल,
प्रधान सचिव।

ई-मेल

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी समाहर्ता,
सभी अपर समाहर्ता/सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता,
सभी अंचलाधिकारी,
बिहार।

पटना-15, दिनांक-06.03.2026

विषय :-

बिहार विशेष सर्वेक्षण अमीन की प्रतिनियुक्ति रद्द करने के संबंध में।

प्रसंग :-

पत्रांक-24(7), दिनांक-13.01.2026, पत्रांक-61(7), दिनांक-19.01.2026
एवं पत्रांक-251, दिनांक-19.01.2026

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार विशेष सर्वेक्षण अमीन को सरकार के सात निश्चय-03 के अन्तर्गत सातवें स्तंभ में Ease of Living के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु भूमि मापी की प्रक्रिया को अधिक सरल, पारदर्शी, समयबद्ध एवं नागरिक-अनुकूल बनाने हेतु प्रासंगिक पत्र द्वारा दिशा-निर्देश संसूचित करते हुए सभी सर्वेक्षण अमीनों को समाहर्ता के नियंत्रणाधीन करते हुए प्रतिनियुक्त किया गया है एवं मापी के लंबित सभी मामलों का निष्पादन किया जाना है।

अतएव पुनः अनुरोध है कि मापी के लंबित मामलों को दिनांक-31.03.2026 तक निष्पादन कराते हुए प्रतिनियुक्त सभी विशेष सर्वेक्षण अमीन को अपने पदस्थापित कार्यालय हेतु विरमित किया जाए, विरमित नहीं किये जाने की स्थिति में दिनांक-01.04.2026 से प्रतिनियुक्त उक्त सभी कर्मी स्वतः विरमित समझे जाएंगे।

विश्वासभाजन,

(सी०के० अनिल)
प्रधान सचिव।